

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी 2021—माघ 29, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ-2-1-2021-बाईस-पं.-1

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत छिन्दवाडा जिले के तामिया जनपद के देलाखारी संकुल की 09 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार देलाखारी संकुल के 09 ग्राम पंचायतों के 373.05 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

जिला	-	छिन्दवाडा
जनपद	-	तामिया

संकुल - देलाखारी
क्षेत्रफल - 373.05 वर्ग कि.मी. (37305 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	देलाखारी संकुल, तामिया जनपद	बम्हनी	बम्हनी	41.00
2		बांगई	बांगई	22.12
3			कानखेड़ी	8.64
4			मुंगासिया	6.84
5			दौरिया खेड़ा	दौरिया खेड़ा
6		धौखेड़ा		4.18
7		डुंडी शिखर		11.52
8		खुट्टी उर्फ कुंआ		2.79
9		मुगरिया		2.33
10		प्रतापगढ़ बादला		20.57
11		देलाखारी	देलाखारी	18.74
12		घटलिंगा	घटलिंगा	3.63
13			गुदीछतरी	1.75
14			श्रीझोंत	22.59
15			जामुनढोंगा	भांडी
16		जामुनढोंगा		8.03
17		निशान		7.00
18		कपूरनाला	चोपना भाजीपानी	0.88
19			डुन्डी भाजीपानी	0.46
20			गोदलपानी उर्फ पीपरढार	41.79
21			जामुनखेड़ा	0.00

22			कपूरनाला	17.17
23			खूनाझिरी	1.75
24			किरईमऊ	0.19
25			नवलगांव	0.65
26			पीपरझेला	0.12
27			सीताडोंगरी	68.72
28		खापाखुर्द	खापाखुर्द	6.78
29			सेहराढाना	11.93
30			उमरिया	11.98
31		कुर्सीढाना	बेलखेडी	9.14
32			हरसदिवारी	13.16
33			कुर्सीढाना	8.66
34			मरकाढाना	4.17
	कुल योग	9	34	373.05

देलाखारी निवेश क्षेत्र - 1 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम जामुनढोंगा एवं ग्राम निशान की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम निशान की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कुर्सीढाना की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम हरसदिवारी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम धौखेड़ा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम देलाखारी की दक्षिणी-पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम उमरिया की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम खापाखुर्द की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम सेहराढाना की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम खूनाझिरी की दक्षिणी-पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम खूनाझिरी एवं ग्राम कपूरनाला की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
2. **पूर्व** – ग्राम खूनाझिरी एवं ग्राम कपूरनाला की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कपूरनाला की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम सेहराढाना की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम गुदीछतरी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम घटलिंगा की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम श्रीझोंत की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम श्रीझोंत एवं ग्राम प्रतापगढ़ बादला के पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
3. **दक्षिण** – ग्राम श्रीझोंत एवं ग्राम प्रतापगढ़ बादला की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम प्रतापगढ़ बादला की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम जुंडी शिखर की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम दौरिया खेड़ा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खुट्टी उर्फ कुंआ की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम हरसदिवारी की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बांगई की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बांगई एवं ग्राम मुंगासिया की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
4. **पश्चिम** – ग्राम बांगई एवं ग्राम मुंगासिया की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम मुंगासिया की पूर्वी-दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भांडी की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम जामुनढोंगा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम जामुनढोंगा एवं ग्राम निशान की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

देलाखारी निवेश क्षेत्र - 2 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम बम्हनी की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम बम्हनी की पूर्वी सीमा।

3. दक्षिण – ग्राम बम्हनी की दक्षिणी सीमा।
4. पश्चिम – ग्राम बम्हनी की पश्चिमी सीमा।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।
- (ब) देलाखारी संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना देलाखारी संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले के देलाखारी संकुल को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-पं.-1

ERREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-11/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Delakhari cluster of Tamia Prasad Mukherjee Rurban Mission in Tamia Block of Chhindwara district, consisting of 9 Gram Panchayat covering an area of 373.05 Sq. Km revenue land as a planning area as the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Panchayat (Amendment) Act, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District : Chhindwara
Janpad: Tamia
Cluster: Delakhari
Area : 373.05 Sq. Km (37305 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Delakhari Cluster, Tamia Janpad	Bamhani	Bamhani	41.00
2		Bangai	Bangai	22.12
3			Kankhedi	8.64
4			Mugasiya	6.84
5			Dauriya Kheda	Dauriya Kheda
6		Dhoukheda		4.18
7		Dundisikhar		11.52
8		Khutti Urf Kua		2.79
9		Mugaria		2.33
10		Pratapgarh Badla		20.57
11		Delakhari		Delakhari
12		Ghatlinga	Ghatlinga	3.63
13			Gudhichhatri	1.75
14			Shrijhot	22.59
15		Jamundhonga	Bhandi	3.93
16			Jamundhonga	8.03
17			Nishan	7.00
18		Kappornala	Chopna Bhajipani	0.88
19			Dundi Bhajipani	0.46
20			Godalpani Urf Pipardar	41.79
21			Jamunkheda	0.00
22			Kapoornala	17.17
23			Khunajhiri	1.75
24			Kiraimau	0.19
25			Nawalgaon	0.65

26			Piparjhela	0.12
27			Sitadongri	68.72
28		Khapakhurd	Khapakhurd	6.78
29			Sahradhana	11.93
30			Umariya	11.98
31		Kursidhana	Belkhedi	9.14
32			Harasdiwari	13.16
33			Kursidhana	8.66
34			Markadhana	4.17
	Total	9	34	373.05

Description of the Delakhari Planning Area Boundaries - 1

- 1. North** – From the Western junction point of Village Jamundhoga and Village Nishan going through the Northern-Eastern boundaries of Village Nishna to the Northern boundary of Village Kursidhana to the Northern boundary of Village Harasdiwari to the Western boundary of Village Dhokheda to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Delakhari to the Northern boundary of Village Umariya to the Northern boundary of Village Khapakhurd to the Western boundary of Village Sahradhana to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Khunajhiri till the Western junction point of Village Khunajhiri and Village Kapoornala.
- 2. East** – From the Western junction point of Village Khunajhiri and Village Kapoornala going through the Northern-Eastern boundaries of Village Kapoornala to the Eastern boundary of Village Sahradhana to the Eastern boundary of Village Gudhichhatri to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Ghatlinga to the Eastern boundary of Village Shrijhot till the Eastern junction point of Village Shrijhot and Village Pratapgarh Badla.
- 3. South** – From the Eastern junction point of Village Shrijhot and Village Pratapgarh Badla going through the Southern boundary of Village Pratapgarh Badla to the Eastern-Southern boundaries of Village Dundisikhar to the Southern boundary of Village Dauriya Kheda to the Eastern-Southern boundaries of Village Khutti Urf Kua to the Eastern-Southern boundaries of Village Harasdiwari to the Eastern-Southern boundaries of Village Bangai till the Southern junction point of Village Bangai and Village Mugasiya.
- 4. West** – From Southern junction point of Village Bangai and Village Mugasiya going through the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Mugasiya to the Western boundary of Village Bhandi to the Western boundary of Village Jamundhonga till the Western junction point of Village Jamundhonga and Village Nishan.

Description of the Delakhari Planning Area Boundaries - 2

- 1. North** – Northern boundary of Village Bamhani.
- 2. East** – Eastern boundary of Village Bamhani.
- 3. South** – Southern boundary of Village Bamhani.

4. West – Western boundary of Village Bamhani.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
2. Delakahri cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its Integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Delakahri cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose).
As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Delakhari cluster of Chhindwara district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

एफ-2-1-2021-बाईस-पं.-1

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन अंतर्गत रीवा जिले के हनुमना जनपद के गौरी संकुल की 10 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार गौरी संकुल के 10 ग्राम पंचायतों के 77.02 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

जिला - रीवा
जनपद - हनुमना
संकुल - गौरी
क्षेत्रफल - 77.02 वर्ग कि.मी. (7702 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	गौरी संकुल, हनुमना जनपद	शाहपुर	शाहपुर	0.51
2			चिरकिटिहा	0.43
3			टहलुआ	0.54
4			चौरहा	1.18
5			दरैता	0.06
6			दादर	0.007
7		घरभरा	घरभरा	0.76
8			सूहा	0.19
9			चमडौरी	0.01
10			कोटवरवा	0.15
11			शिवरिहा मु शाहपुर	0.02
12			बरिया	0.60
13			गजरहा	0.41
14			पतेर	0.18
15			पतेरहा	0.25
16			जगहरात	0.66
17			डाबर	0.21
18			गूढ बेला	2.23
19			दुधमनिया	0.10
20			बेलौही रामशरण	0.73
21			खुटहा	0.12

22		बेलौही कुमरान	0.32	
23	बेलौही कला	बेलौही कला	11.22	
24		बेलहा	0.13	
25	गौरी	गौरी	18.02	
26	गनिगनवा	गनिगवां	0.91	
27		लटियार	1.05	
28		मर्जादपुर	1.78	
29		चोरगवां	3.19	
30	भगदेवा	भगदेवा	4.76	
31		भमरा	1.66	
32	महौता	महौता	5.03	
33		छदहना कला	1.65	
34		छदहना खुर्द	1.46	
35	पहाडी	पहाडी	2.73	
36	दुरिहा	दुरिहा	0.32	
37		शुकुलगवां	3.45	
38		नटकी	0.46	
39		दुबगवां	0.37	
40		कोट राजभजन	0.07	
41	राजधौ	राजधौ	1.58	
42	बधईया	बधईया	1.42	
43		कोठार	2.00	
44		परधनीया	0.12	
45	भलुया कोठार	भलुया कोठार	2.32	
46		बहर	0.48	
47		भलुहा	1.17	
	कुल योग	10	47	77.02

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

उत्तर – ग्राम गनिगवां एवं ग्राम गौरी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम गौरी की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम गौरी एवं ग्राम बेलौही कला की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

पूर्व – ग्राम गौरी एवं ग्राम बेलौही कला की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बेलौही कला की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बेलौही कुमरान की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खुटहा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बेलौही रामशरण की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम सूहा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम चौरहा की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम दरैता की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम चौरहा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बहर की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम चमडौरी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम बहर की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम भलुहा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम भलुया कोठार की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम भलुया कोठार एवं ग्राम बधईया की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

3. **दक्षिण** – ग्राम भलुया कोठार एवं ग्राम बधईया की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बधईया की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कोठार की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम परधनीया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कोठार की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बधईया की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भलुया कोठार दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम राजधौ की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम भगदेवा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम शुकुलगवां की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम दुबगवा की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम नटकी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम शुकुलगवां की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम शुकुलगवां एवं ग्राम पहाडी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
4. **पश्चिम** – ग्राम शुकुलगवां एवं ग्राम पहाडी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम पहाडी की दक्षिणी-पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम भमरा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम महौता की दक्षिणी-पश्चिमी-उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम भमरा की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम शुकुलगवां की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम भगदेवा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम गौरी की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम मर्जादपुर की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम लटियार की पश्चिमी-उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम गनिगवां की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम गनिगवां एवं ग्राम गौरी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।
- (ब) गौरी संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना गौरी संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबर्न मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबर्न मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, रीवा जिले के गौरी संकुल को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-पं.-1

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Gauri cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Hanumana Block of Rewa district, consisting of 10 Gram Panchayat covering an area of 77.02 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District : Rewa
Janpad: Hanumana
Cluster: Gauri
Area : 77.02 Sq. Km (7702 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)	
1	Gauri Cluster, Hanumana Janpad	Shahpur	Shahpur	0.51	
2			Chirkitha	0.43	
3			Tahaluwa	0.54	
4			Choraha	1.18	
5			Dareta	0.06	
6			Dadar	0.007	
7		Gharbhara	Gharbhara	0.76	
8			Suha	0.19	
9			Chamdauri	0.01	
10			Kotwarva	0.15	
11			Shivriha Mu Shahpur	0.02	
12			Bariya	0.60	
13			Gajraha	0.41	
14			Pater	0.18	
15			Pateraha	0.25	
16			Jagarat	0.66	
17			Dabar	0.21	
18			Gadhpela	2.23	
19			Dudhmaniya	0.10	
20			Belauhi Ramsharan	0.73	
21			Khutaha	0.12	
22			Belauhi Kumaran	0.32	
23			Belauhi Kala	Belauhi Kala	11.22
24				Belha	0.13
25		Gauri	Gauri	18.02	

26		Ganigawan	Ganigawan	0.91
27			Latiyar	1.05
28			Marjadpur	1.78
29			Chorgawan	3.19
30		Bhagdeva	Bhagdeva	4.76
31			Bhamara	1.66
32		Mahauta	Mahauta	5.03
33			Chhadana Kala	1.65
34			Chhadana Khurd	1.46
35		Pahadi	Pahadi	2.73
36		Thurriha	Thurriha	0.32
37			Shukulgawan	3.45
38			Nakati	0.46
39			Dubgawan	0.37
40			Kot Rajbhajan	0.07
41		Rajadhau	Rajadhau	1.58
42		Badhaiya	Badhaiya	1.42
43			Kothar	2.00
44			Pardhaniya	0.12
45		Bhaluha Kothar	Bhaluha Kothar	2.32
46			Vahar	0.48
47			Bhaluha	1.17
	Total	10	47	77.02

Description of the Planning Area Boundaries

- North** – From the Northern junction point of Village Ganigawan and Village Gauri going through the Western-Northern boundaries of Village Gauri till the Northern junction point of Village Gauri and Village Belauhi Kala.
- East** – From the Northern junction point of Village Gauri and Village Belauhi Kala going through the Northern-Eastern boundaries of Village Belauhi Kala to the Southern boundary of Village Belauhi Kumaran to the Southern boundary of Village Khutaha to the Southern boundary of Village Belauhi Ramsharan to the Eastern boundary of Village Suha to the Northern boundary of Village Chouraha to the Northern-Eastern boundaries of Village Daretta to the Eastern boundary of Village Chouraha to the Northern boundary of Village Vahar to the Northern boundary of Village Chamdauri to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Vahar to the Eastern boundary of Village Bhaluha to the Eastern-Southern boundaries of Village Bhaluha Kothar till the Eastern junction point of Village Bhaluha Kothar and Village Badhaiya.
- South** – From the Eastern junction point of Village Bhaluha Kothar and Village Badhaiya going through the Eastern boundary of Village Badhaiya to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Kothar to the Southern boundary of Village Pardhaniya to the Southern-Western boundaries of Village Kothar to the Western boundary of Village Badhaiya to the Southern-Western boundaries of Village Bhaluha Kothar to the Southern boundary of Village Rajadhau to the Southern boundary of Village Bhagdeva to the Eastern boundary of Village Shukulgawan to the Eastern-Southern boundaries of Village Dubgawan to the Southern boundary of Village Nakati to the Southern-Western boundaries

of Village Shukulgawan till the Southern junction point of Village Shukulgawan and Village Pahadi.

4. **West** – From the Southern junction point of Village Shukulgawan and Village Pahadi going through the Southern-Western-Northern boundaries of Village Pahadi to the Southern boundary of Village Bhamara to the Southern-Western-Norther-Eastern boundaries of Village Mahauta to the Northern-Eastern boundaries of Village Bhamara to the Northern boundary of Village Shukulgawan to the Western boundary of Village Bhagdeva to the Western boundary of Village Gauri to the Western boundary of Village Marjadpur to the Western-Northern-Eastern boundaries of Village Latiyar to the Northern boundary of Village Ganigawan till the Northern junction point of Village Ganigawan and Village Gauri.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:–

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
2. Gauri cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its Integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Gauri cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose).
As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Gauri cluster of Rewa district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

एफ-2-1-2021-बाईस-पं.-1

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत बैतुल जिले के शाहपुर जनपद के देशावाडी संकुल की 07 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार देशावाडी संकुल के 07 ग्राम पंचायतों के 106.55 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

जिला	-	बैतुल
जनपद	-	शाहपुर
संकुल	-	देशावाडी
क्षेत्रफल	-	106.55 वर्ग कि.मी. (10655 हेक्टेयर)

क्रं.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1	देशावाडी संकुल, शाहपुर जनपद	देशावाडी	देशावाडी	16.02
2			माली सिलपटी	1.11
3		भयावाडी	भयावाडी	4.19
4			हरदु	1.47
5			पौसेरा	3.06
6			बुडी	3.21
7			पारु	0.68
8		कोटमी	कोटमी	7.78
9		कुंडी	कुंडी	8.88
10			कामठी	3.92
11			बाँकाखोदरी	6.18
12			कुसमरी	4.75
13			मरदानपुर	3.79
14		मोखामाल	दौड़ी	4.21
15			पलाशपानी	5.61
16			मोखारैयत	1.73
17			मोखामाल	2.10
18		पाठई	भगतढाना	1.21
19			पाठई	5.98

20			निशानारैयत	3.63
21			सोहागपुर ढाना	4.04
22		सिलपटी	सिलपटी	7.94
23			गोनापुर	5.06
	कुल	07	23	106.55

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- उत्तर** – ग्राम बाँकाखोदरी एवं ग्राम कुंडी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कुंडी की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कामठी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कुसमरी की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम दौड़ी उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए दौड़ी एवं ग्राम कोटमी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- पूर्व** – ग्राम दौड़ी एवं ग्राम कोटमी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कोटमी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम सिलपटी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम गोनापुर की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम भयावाडी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम भयावाडी एवं ग्राम बुड्डी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- दक्षिण** – ग्राम भयावाडी एवं ग्राम बुड्डी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बुड्डी की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम पारु की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम देशावाडी की पूर्वी-दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम देशावाडी एवं ग्राम हरदु की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- पश्चिम** – ग्राम देशावाडी एवं ग्राम हरदु की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम हरदु की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम मोखारैयत की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम पलाशपानी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम निशानारैयत की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम पाठई की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भगतढाना की दक्षिणी-पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम पाठई की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम निशानारैयत की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम पलाशपानी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम सोहागपुर ढाना की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बाँकाखोदरी की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बाँकाखोदरी एवं ग्राम कुंडी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

देशावाडी संकुल का ग्राम बरेठा (क्षेत्र फल 3.81 वर्ग कि.मी.) वन ग्राम है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हों। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।

- (ब) देशावाडी संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना देशावाडी संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन (NRUM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, बैतुल जिले के देशावाडी संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-पं.-1

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Deshawadi cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Shahpur Block of Betul district, consisting of 07 Gram Panchayat covering an area of 106.55 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District : Deshawadi
Janpad: Shahpur
Cluster: Betul
Area : 106.55 Sq. Km (10655 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Deshawadi Cluster, Shahpur Janpad	Deshawadi	Deshawadi	16.02
2			Mali Silpati	1.11
3		Bhayawadi	Bhayawadi	4.19
4			Hardu	1.47
5			Pousera	3.06
6			Buddi	3.21
7			Paru	0.68
8		Kotmi	Kotmi	7.78
9		Kundi	Kundi	8.88
10			Kamthi	3.92
11			Bankakhodri	6.18
12			Kusmari	4.75
13			Mardanpur	3.79
14		Daudi	Daudi	4.21
15			Palaspani	5.61
16			Mokha Ryt	1.73
17		Mokha Mal	Mokha Mal	2.10
18			Bhagtandhana	1.21
19			Pathai	5.98
20		Nishana Ryt	Nishana Ryt	3.63
21			Sohagpur Dhana	4.04
22			Silpati	7.94
23		Gaunapura	Gaunapura	5.06
	Total	07	23	106.55

Description of the Planning Area Boundaries

1. **North** – From the Southern junction point of Village Bankakhodri and Village Kundi going through the Western-Northern boundaries of Village Kundi to the Northern boundary of Village Kamthi to the Western-Northern boundaries of Village Kusmari to the Northern-Eastern boundaries of Village Daudi till the Eastern junction point of Village Daudi and Village Kotmi.
2. **East** – From the Eastern junction point of Village Daudi and Village Kotmi going through the Eastern boundary of Village Kotmi to the Eastern boundary of Village Silpati to the Eastern boundary of Village Gaunapura to the Eastern boundary of Village Bhayawadi till the Eastern junction point of Village Bhayawadi and Village Buddi.
3. **South** – From the Eastern junction point of Village Bhayawadi and Village Buddi going through the Eastern-Southern boundaries of Village Buddi to the Southern boundary of Village Paru to the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Deshawadi till the Western junction point of Village Deshawadi and Village Hardu.
4. **West** – From the Western junction point of Village Deshawadi and Village Hardu going through the Western-Northern boundaries of Village Hardu to the Western boundary of Village Mokha Ryt to the Southern boundary of Village Palaspani to the Eastern-Southern boundaries of Village Nishana Ryt to the Southern-Western boundaries of Village Pathai to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Bhagtandhana to the Northern boundary of Village Pathai to the Northern boundary of Village Nishana Ryt to the Northern boundary of Village Palaspani to the Western boundary of Village Sohagpur Dhana to the Southern-Western boundaries of Village Bankakhodri till the Southern junction point of Village Bankakhodri and Village Kundi.

Village Baretha (area 3.81 Sq. Km) of Deshawadi cluster is a forest village.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
2. Deshawadi cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Deshawadi cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Deshawadi cluster of Betul district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

एफ-2-1-2021-बाईस-पं.-1

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत मंडला जिले के बिछिया जनपद के रामनगर संकुल की 07 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार आरूढ संकुल के 07 ग्राम पंचायतों के 42.59 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

जिला - मंडला
जनपद - बिछिया
संकुल - रामनगर
क्षेत्रफल - 42.59 वर्ग कि.मी. (4259 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)	
1	रामनगर संकुल, बिछिया जनपद	अहमदपुर	अहमदपुर	4.17	
2		बंजी	बंजी	2.71	
3		भावामाल	भावामाल	भावामाल	3.26
4			भावाजर	भावाजर	3.23
5			लुटिया	लुटिया	2.50
6			मोहगांव	मोहगांव	2.00
7			खर्झर	खर्झर	1.72
8		डुडका	डुडका	2.43	
9		नकावल	नकावल	नकावल	3.19
10			दरियागोंडी	दरियागोंडी	1.16
11			गुपांगी	गुपांगी	2.93
12			धुतका	धुतका	3.98
13		विशनपुरा रैयत	विशनपुरा रैयत	1.77	
14		रामनगर	रामनगर	4.87	
15		खिरहनी	खिरहनी	2.67	
	कुल योग	7	15	42.59	

रामनगर निवेश क्षेत्र - 1 की सीमाओं का विवरण

1. उत्तर - ग्राम खिरहनी एवं ग्राम रामनगर की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम रामनगर की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रामनगर एवं ग्राम विशनपुरा रैयत की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. **पूर्व** – ग्राम रामनगर एवं ग्राम विशनपुरा रैयत की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम विशनपुरा रैयत की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम धुतका की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम दरियागोंडी की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम दरियागोंडी एवं ग्राम धुतका की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
3. **दक्षिण** – ग्राम दरियागोंडी एवं ग्राम धुतका की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम धुतका की पूर्वी-दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम धुतका एवं ग्राम नकावल की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
4. **पश्चिम** – ग्राम धुतका एवं ग्राम नकावल की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम नकावल की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम खिरहनी की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम खिरहनी एवं ग्राम रामनगर की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

रामनगर निवेश क्षेत्र – 2 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम भावाजर एवं ग्राम लुटिया की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम लुटिया की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम मोहगांव की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम मोहगांव एवं ग्राम भावाजर की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
2. **पूर्व** – ग्राम मोहगांव एवं ग्राम भावाजर की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम भावाजर की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम डुडका की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम अहमदपुर की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम अहमदपुर एवं ग्राम बंजी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
3. **दक्षिण** – ग्राम अहमदपुर एवं ग्राम बंजी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बंजी की उत्तरी-पूर्वी-दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बंजी एवं ग्राम अहमदपुर की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
4. **पश्चिम** – ग्राम बंजी एवं ग्राम अहमदपुर की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम अहमदपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम डुडका की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भावामाल की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भावामाल एवं ग्राम लुटिया की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

रामनगर निवेश क्षेत्र – 3 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम गुपांगी की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम गुपांगी की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम गुपांगी की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम गुपांगी की पश्चिमी सीमा।

रामनगर निवेश क्षेत्र – 4 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम खर्जाजर की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम खर्जाजर की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम खर्जाजर की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम खर्जाजर की पश्चिमी सीमा।

रामनगर संकुल का ग्राम सिमरिया (क्षेत्रफल 2.27 वर्ग कि.मी.) एवं ग्राम बघरौडी (क्षेत्रफल 4.45 वर्ग कि.मी.) वन ग्राम है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।
- (ब) रामनगर संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना रामनगर संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन (NRUM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, मंडला जिले के रामनगर संकुल को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-पं.-1

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Ramnagar cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Bichhiya Block of Mandla district, consisting of 07 Gram Panchayat covering an area of 42.59 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District : Mandla
Janpad: Bichhiya
Cluster: Ramnagar
Area : 42.59 Sq. Km (4259 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Ramnagar Cluster, Bichhiya Janpad	Ahmadpur	Ahmadpur	4.17
2		Banji	Banji	2.71
3		Bhawa Mal	Bhawa Mal	3.26
4			Bhawa Jar	3.23
5			Lutiya	2.50
6			Mohgaon	2.00
7			Kharrajhar	1.72
8		Dudka	Dudka	2.43
9		Nakawal	Nakawal	3.19
10			Dariya Gondi	1.16
11			Gupangi	2.93
12			Dhutka	3.98
13		Vishanpura Ryt.	1.77	
14		Ramnagar	Ramnagar	4.87
15		Khirhani	Khirhani	2.67
	Total	07	15	42.59

Description of the Ramnagar Planning Area - 1 Boundaries

- 1. North** – From the Northern junction point of Village Khirhani and Village Ramnagar going through the Northern-Eastern boundaries of Village Ramnagar till the Northern junction point of Village Ramanagr and Village Vishanpura Ryt.
- 2. East** – From the Northern junction point of Village Ramnagar and Village Vishanpura Ryt going through the Eastern boundary of Village Vishanpura Ryt to the Northern boundary of

Village Dhutka to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Dariya Gondi till the Southern junction point of Village Dariya Gondi and Village Dhutka.

3. **South** – From the Southern junction point of Village Dariya Gondi and Village Dhutka going through the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Dhutka till the Southern junction point of Village Dhutka and Village Nakawal.
4. **West** – From the Southern junction point of Village Dhutka and Village Nakawal going through the Southern-Western boundaries of Village Nakawal to the Western-Northern boundaries of Village Khrihani till the Northern junction point of Village Khrihani and Village Ramnagar.

Description of the Ramnagar Planning Area - 2 Boundaries

1. **North** – From the Western junction point of Village Bhawa Jar and Village Lutiya going through the Western-Northern boundaries of Village Lutiya to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Mohgaon till the Southern junction point of Village Mohgaon and Village Bhawa Jar.
2. **East** – From the Southern junction point of Village Mohgaon and Village Bhawa Jar going through the Eastern boundary of Village Bhawa Jar to the Eastern boundary of Village Dudka to the Eastern boundary of Village Ahmadpur till the Eastern junction point of Village Ahmadpur and Village Banji.
3. **South** – From the Eastern junction point of Village Ahmadpur and Village Banji going through the Northern-Eastern-Southern-Western boundaries of Village Banji till the Western junction point of Village Banji and Village Ahmadpur.
4. **West** – From the Western junction point of Village Banji and Village Ahmadpur going through the Western boundary of Village Ahmadpur to the Western boundary of Village Dudka to the Western boundary of Village Bhawa Mal to the Western boundary of Village Bhawa Jal till the Western junction point of Village Bhawa Jar and Village Lutiya.

Description of the Ramnagar Planning Area - 3 Boundaries

1. **North** – Northern boundary of Village Gupangi.
2. **East** – Eastern boundary of Village Gupangi.
3. **South** – Southern boundary of Village Gupangi.
4. **West** – Western boundary of Village Gupangi.

Description of the Ramnagar Planning Area - 4 Boundaries

1. **North** – Northern boundary of Village Kharrajhar.
2. **East** – Eastern boundary of Village Kharrajhar.

3. South – Southern boundary of Village Kharrajhar.

4. West – Western boundary of Village Kharrajhar.

Village Simariya (area 2.27 Sq. Km) and Village Bhagraudi (area 4.45 Sq. Km) of Ramnagar cluster is a forest village.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
2. Ramnagar cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its Integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Ramnagar cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose).
As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Ramnagar cluster of Mandla district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

एफ-2-1-2021-बाईस-पं.-1

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत सिंगरौली जिले के देवसर जनपद के कुर्सा संकुल की 05 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कुर्सा संकुल के 05 ग्राम पंचायतों के 61.40 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	-	सिंगरौली
जनपद	-	देवसर
संकुल	-	कुर्सा
क्षेत्रफल	-	61.40 वर्ग कि.मी. (6140 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	कुर्सा संकुल, देवसर जनपद	कुर्सा	कुर्सा	13.35
2		ढोंगा	ढोंगा	7.93
3			बोडिया	2.79
4			मेड़	0.59
5		जियावन	जियावन	11.15
6			अकौरी	5.79
7			बहेरा	0.31
8			बसौड़ा	0.39
9		जोगिनी	जोगिनी	2.98
10			सजहर	5.10
11			बघबुड़वा	2.31
12			हराविरान	1.17
13		देवरा	देवरा	4.09
14			कोल्हुआ	1.82
15			छदना	1.63
	कुल योग	5	15	61.40

कुर्सा निवेश क्षेत्र - 1 की सीमाओं का विवरण

1. उत्तर - ग्राम ढोंगा एवं ग्राम कुर्सा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कुर्सा की पश्चिमी-उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम जियावन की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम अकौरी की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम अकौरी एवं ग्राम जियावन की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. **पूर्व** – ग्राम अकौरी एवं ग्राम जियावन की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम जियावन की पूर्वी-दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम जियावन एवं ग्राम ढोंगा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
3. **दक्षिण** – ग्राम जियावन एवं ग्राम ढोंगा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम ढोंगा की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम ढोंगा एवं ग्राम कुर्सा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
4. **पश्चिम** – ग्राम कुर्सा की पश्चिमी सीमा।

कुर्सा निवेश क्षेत्र - 2 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम मेड़ एवं ग्राम बोडिया की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम बोडिया की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम बोडिया एवं ग्राम मेड़ की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम मेड़ की पश्चिमी सीमा।

कुर्सा निवेश क्षेत्र - 3 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम जोगिनी की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम जोगिनी एवं ग्राम हर्राविरान की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम हर्राविरान की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम हर्राविरान एवं ग्राम जोगिनी की पश्चिमी सीमा।

कुर्सा निवेश क्षेत्र - 4 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम सजहर की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम कोल्हुआ एवं ग्राम छदना एवं ग्राम देवरा की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम देवरा की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम देवरा एवं ग्राम छदना एवं ग्राम कोल्हुआ की पश्चिमी सीमा।

कुर्सा निवेश क्षेत्र - 5 की सीमाओं का विवरण

1. **उत्तर** – ग्राम बहेरा की उत्तरी सीमा।
2. **पूर्व** – ग्राम बहेरा की पूर्वी सीमा।
3. **दक्षिण** – ग्राम बहेरा की दक्षिणी सीमा।
4. **पश्चिम** – ग्राम बहेरा की पश्चिमी सीमा।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हों। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।

- (ब) कुर्सा संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना कुर्सा संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबर्न मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबर्न मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, सिंगरौली जिले के कुर्सा संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-पं.-1

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Kursa cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Deosar Block of Singrauli district, consisting of 05 Gram Panchayat covering an area of 61.40 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District : Singrauli
Janpad: Deosar
Cluster: Kursa
Area : 61.40 Sq. Km (6140 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Kursa Cluster, Deosar Janpad	Kursa	Kursa	13.35
2		Dhoga	Dhoga	7.93
3			Bodia	2.79
4			Medh	0.59
5		Jiyawan	Jiyawan	11.15
6			Akauri	5.79
7			Bahera	0.31
8			Basoda	0.39
9		Jogini	Jogini	2.98
10			Sajhar	5.10
11			Baghbudawa	2.31
12			Harra Viran	1.17
13		Deora	Deora	4.09
14			Kolhua	1.82
15			Chhadna	1.63
	Total	05	15	61.40

Description of the Kursa Planning Area Boundaries - 1

- North** – From the Western junction point of Village Dhoga and Village Kursa going through the Western-Northern boundaries of Village Kursa to the Northern-Eastern boundaries of Village Jiyawan to the Northern-Eastern boundaries of Village Akauri till the Eastern junction point of Village Akauri and Village Jiyawan.

2. **East** – From the Eastern junction point of Village Akauri and Village Jiyawan going through the Eastern-Southern boundaries of Village Jiyawan till the Southern junction point of Village Jiyawan and Village Dhoga.
3. **South** – From the Southern junction point of Village Jiyawan and Village Dhoga going through the Southern-Western boundaries of Village Dhoga till the Western junction point of Village Dhoga and Village Kursa.
4. **West** – Western boundary of Village Kursa

Description of the Kursa Planning Area Boundaries - 2

1. **North** – Northern boundary of Village Medh and Village Bodiya.
2. **East** – Eastern boundary of Village Bodiya.
3. **South** – Southern boundary of Village Bodiya and Village Medh.
4. **West** – Western boundary of Village Medh.

Description of the Kursa Planning Area Boundaries - 3

1. **North** – Northern boundary of Village Jogini.
2. **East** – Eastern boundary of Village Jogini and Village Harra Viran.
3. **South** – Southern boundary of Village Harra Viran.
4. **West** – Western boundary of Village Harra Viran and Village Jogini.

Description of the Kursa Planning Area Boundaries - 4

1. **North** – Northern boundary of Village Sajhar.
2. **East** – Eastern boundary of Village Kolhua and Village Chhadna and Village Deora.
3. **South** – Southern boundary of Village Deora.
4. **West** – Western boundary of Village Deora and Village Chhadna and Village Kolhua.

Description of the Kursa Planning Area Boundaries - 5

1. **North** – Northern boundary of Village Bahera.
2. **East** – Eastern boundary of Village Bahera.
3. **South** – Southern boundary of Village Bahera.
4. **West** – Western boundary of Village Bahera.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
2. Kursa cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore

(maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its Integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Kursa cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Kursa cluster of Singrauli district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.